बिहार सरकार

**योजना एवं विकास विभाग**

पत्रांक: यो09 / S.H.A-05/2021- 5675 / यो0वि0,पटना, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025

प्रेषक,

**के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),**
प्रधान सचिव

सेवा में,

**सभी कुलपति**
विश्वविद्यालय, बिहार।
**सभी प्राचार्य,**
महाविद्यालय, बिहार।

**विषय :— मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के पुर्नगठन के संबंध में।**

प्रसंग: 1. विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1350 दिनांक—09.03.2016
2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1141 दिनांक—23.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक संकल्पों के माध्यम से राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निश्चय स्वय सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक / युवतियाँ, जो आगे की पढाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री निश्चय स्वय सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों में निम्नरूपेण संशोधन / अतिरिक्त प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है :—

(क) 20—25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक / युवतियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार / सरकारी / निजी / गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध / स्थायी / अस्थायी रूप से) प्राप्त नही किये हैं, कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी 1000 / — रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।

(ख) इस योजना से संबंधित निर्गत संकल्प ज्ञापांक—1350 दिनांक—09.03.2016 की कंडिका 7(iii) में निहित प्रावधान यथा—आवेदक को किसी स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता / छात्रवृति / स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो, स्नातक उत्तीर्ण लाभुकों पर लागू नहीं होगा।

(ग) इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण युवक / युवतियाँ जो स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करेंगे, उनको रोजगार / स्व—रोजगार के लिए क्षमतावर्धन हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

P.T.O.

अनुरोध है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के पुर्नगठन तथा योजना के प्रावधानों में उपर्युक्त आंशिक संशोधन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या–5672 दिनांक–03.10.2025 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में सभी छात्र/छात्राओं को अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि इस योजना अन्तर्गत सभी पात्र छात्र/छात्राएँ इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

3/10/2025

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव

All File/7Nischay-2/New

# बिहार सरकार
## योजना एवं विकास विभाग

### संकल्प

**विषय :– राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।**

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाता है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1141 दिनांक–23.03.2021 द्वारा इस योजना को सात निश्चय–2 कार्यक्रम में भी जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक विस्तारित किया गया है।

2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं आवेदकों के निबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 से ही प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र अधिष्ठापित व कार्यरत है।

3. वर्तमान में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हत्ताएँ, शर्ते एवं उद्देश्य निम्नवत् है :–

(क) 20–25 वर्ष के आयुवर्ग में आनेवाले वैसे युवक/युवतियाँ जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड/परीक्षा परिषदों से न्यूनतम इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।

(ख) योजना अन्तर्गत लाभुकों को प्रतिमाह 1000/– रूपये की दर से स्वयं सहातया भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

(ग) आवेदक बिहार राज्य के संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये।

(घ) आवेदक को किसी स्त्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।

(ङ) आवेदक को किसी प्रकार का नियोजन, (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।

(च) आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो।

(छ) आवेदक को जिस दिन से स्थायी/अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन से इस योजना के तहत दी जानेवाली भत्ता हेतु पात्रता नहीं रखेंगे एवं तदनुसार भत्ता बंद कर दी जायेगी।

(ज) इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले बेरोजगार युवक/युवतियाँ को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित करते है।

4. प्रायः देखा जाता है कि अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं की अर्हत्ताएँ स्नातक होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में वैसे युवक/युवतियाँ जो स्नातक के उपरांत रोजगार की तलाश हेतु विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते है, इस योजना में शामिल किये जाने से वैसे युवक/युवतियों को भी रोजगार तलाशने में उत्पन्न आर्थिक कठिनाईयों में मददगार साबित होगी। साथ ही श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने से स्व–रोजगार स्थापना में मदद मिलेगी।

5. एतदत राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों में निम्नरूपेण संशोधन/अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाता है :–

(क) 20–25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक/युवतियाँ जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक (कला,

विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार/सरकारी/निजी/गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं किये हैं, कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी 1000/– रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।

(ख) इस योजना से संबंधित निर्गत संकल्प ज्ञापांक–1350 दिनांक–09.03.2016 की कंडिका 7(iii) में निहित प्रावधान यथा–आवेदक को किसी स्त्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो, स्नातक उत्तीर्ण लाभुकों पर लागू नहीं होगा।

(ग) इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित कौशल विकास से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 05 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित करते हैं।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति राज्य सरकार की अनुमोदन से गठित की जाएगी जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों के दो कुलपति, जो राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे, सदस्य होंगे। इस समिति की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अन्य पाठ्यक्रम/शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया जा सकेगा।

(ड़) इस योजना के लिए पूर्व में निर्गत संकल्प एवं पत्र में निहित शेष शर्तें एवं अर्हत्ताएँ यथावत रहेंगे।

(च) योजना अन्तर्गत संशोधित प्रावधान 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा।

(छ) नियमानुसार योजना एवं विकास विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार मार्गनिदेश निर्गत किया जा सकेगा।

6. प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्नातक उत्तीर्ण लाभुकों की संख्या कुल 5 लाख संभावित है, जिस पर कुल 300.00 करोड़ रूपये मात्र अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। इसी प्रकार आगामी वित्तीय वर्षों में लाभुकों की संख्या के आधार पर योजना की राशि में समानुपातिक वृद्धि संभावित है।

7. उपर्युक्त राशि निम्न बजट शीर्षो के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

(क) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य समाज़िक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम,

उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–35–2235602000117

(ख) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0106–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–35–2235607890106

(ग) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–0102–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–35–2235607960102

आवश्यकतनुसार राशि की व्यवस्था अनुपूरक आगणन/बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

8. विषयांकित प्रस्ताव पर दिनांक–03.10.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–61 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3/10/2025

(के0 सेंथिल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-05/2021- 5679 /यो0वि0,पटना, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि: उप सचिव, बिहार गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3/10/2025

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2021- 5672 /यो0वि0,पटना, दिनांक 03अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/2025

सरकार के प्रधान सचिव

# बिहार सरकार
## योजना एवं विकास विभाग

### संकल्प

विषय :- मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26) तक विस्तारित करने एवं विस्तारित अवधि में राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के संचालन हेतु मो0 1000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये के संभावित व्यय की स्वीकृति तथा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के संचालन एवं रख–रखाव हेतु नामांकन के आधार पर सिस्टम इंटेग्रेटर के रूप में 3i-Infotech Ltd. के चयन की स्वीकृति के संबंध में।

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियाँ, जो आगे की पढ़ाई नहीं किए हों और ना ही कर रहें हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर प्रत्येक माह 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से स्वय सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षो तक दिया जाता है।

2. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं आवेदकों के निबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 से ही प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र अधिष्ठापित व कार्यरत है।

3. इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020–21 में (यानी दिनांक–31.03.2021 को) समाप्त होने वाली है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय के तहत बिहार के युवाओं के लिए चलाए गए कार्यक्रम यथा– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है।

अगले पाँच वित्तीय वर्षों (2021–22 से 2025–26 तक) में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के संचालन पर औसतन 200.00 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की दर से कुल मिलाकर 1000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। मदवार संभावित व्यय विवरणी संलग्न है (अनुलग्नक–1)।

4. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं विशेष कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रति वर्ष 10.00 (दस) करोड़ रूपये अर्थात् पाँच वर्षों में कुल मिलाकर 50.00 (पचास) करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है। यह राशि बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर विस्तारित अवधि में पूर्व की भाँति आवश्यकतानुसार बिहार विकास मिशन द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित विभिन्न श्रेणी के मानव बल यथा–प्रबंधक, सहायक प्रबंधक (परियोजना एवं लेखा), सहायक प्रबंधक (योजना), सुपरवाईजर आई0टी0, सिंगल विंडो ऑपरेटर

एवं मल्टीपरपस असिस्टेंट कार्य करेंगे एवं उनके मानदेय का भुगतान बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा।

6. वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत पाँच लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 650.00 करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वयं सहायता भत्ता के रूप में अंतरित की गयी है। विस्तारित अवधि में भी औसतन प्रतिवर्ष 1,25,000 नये आवेदकों द्वारा स्वयं सहायता भत्ता हेतु आवेदन करने का अनुमान है। नये और पुराने लाभार्थियों को मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग मो0 150.00 करोड़ रूपये अर्थात् पाँच वर्षों में मो0 750.00 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

7. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत सारी प्रक्रियाएँ ऑनलाईन है। इसके लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, सिस्टम इंटेग्रेटर 3i-Infotech Ltd. द्वारा तैयार किया गया है। इस एप्लिकेशन का संचालन एवं रख–रखाव भी सिस्टम इंटेग्रेटर 3i-Infotech Ltd. द्वारा ही किया जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आगे आने वाले वर्षों में भी इसी सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा। एतद् स्थिति में सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का संचालन एवं रख–रखाव हेतु 3i-Infotech Ltd. की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। अतः पूर्व निर्धारित शर्तों पर अगले पाँच वर्षों के लिए नामांकन (Nomination) के आधार पर 3i-Infotech Ltd. की सेवा ली जाएगी जिसपर प्रतिवर्ष लगभग मो0 3.00 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है अर्थात् 5 वर्षों में कुल मिलाकर 15.00 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

8. सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, स्टेट डाटा सेंटर (बेल्ट्रॉन भवन, पटना), सिस्टम इंटेग्रेटर का सहायता केन्द्र (सूचना भवन, पटना) एवं राज्य स्तर पर पटना में अधिष्ठापित कॉल सेंटर (कुल मिलाकर 42 स्थानों) पर प्राथमिक लिंक के रूप में पूर्व की भाँति बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के BSWAN की सेवाएँ ली जाएगी। 42 स्थानों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी के द्वितीयक लिंक की भी आवश्यकता होगी, जिसपर प्रत्येक वर्ष लगभग मो0 0.60 करोड़ रूपये की दर से 5 वर्षों में कुल मिलाकर मो0 3.00 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

9. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों पर अधिष्ठापित आई0टी0 हार्डवेयर के वार्षिक रख–रखाव एवं आवश्यकता अनुसार उसके प्रतिस्थापन पर प्रत्येक वर्ष मो0 8.00 करोड़ रूपये अर्थात् 5 वर्षों में कुल मिलाकर संभावित व्यय मो0 40.00 करोड़ रूपये है।

10. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से संचालित योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा आवश्यक परामर्श हेतु अगले 5 वर्षों तक परामर्शी की सेवा की आवश्यकता होगी। एतद् स्थिति में पूर्व निर्धारित शर्तों पर परामर्शी की सेवा अगले 5 वर्षों (2021–22 से 2025–26) तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त की जाएगी जिसपर प्रत्येक वर्ष लगभग मो0 2.00 (दो) करोड़ रूपये अर्थात् 5 वर्षों में कुल मिलाकर संभावित व्यय मो0 10.00 (दस) करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

11. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों/इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने एवं उनकी समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर पटना में आगामी पाँच वर्षों एक कॉल सेंटर संचालित

रहेगा जिसपर प्रत्येक वर्ष लगभग मो0 1.00 (एक) करोड़ रूपये अर्थात् 5 वर्षों में कुल मिलाकर लगभग मो0 5.00 (पाँच) करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

12. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक विस्तारित करने एवं इस अवधि में राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के संचालन पर 1000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये के संभावित व्यय तथा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के संचालन एवं रख–रखाव हेतु नामांकन के आधार पर सिस्टम इंटेग्रेटर के रूप में 3i-Infotech Ltd. के चयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13. उपर्युक्त राशि निम्न बजट शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

(क) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–35–2235602000117

(ख) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0106– मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–35–2235607890106

(ग) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–0102–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–35–2235607960102

(घ) मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य भवन, लघुशीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0123– मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन मांग संख्या–03, विपत्र कोड–03–40596005130123

14. इस संबंध में दिनांक–16.03.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बैद्यनाथ यादव) 2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः योo9 / S.H.A-5/2021- 1141 / यो0वि0,पटना, दिनांक 23 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः उप सचिव, बिहार गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

19/3/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09 / S.H.A-5/2021- 1141 / यो0वि0,पटना, दिनांक 23 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग / विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार / विभागीय सचिव के आप्त सचिव / महालेखाकार, बिहार, पटना / सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन / मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड / सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी / सभी जिला योजना पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार / सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2021

सरकार के विशेष सचिव

## अनुलग्नक–1

| मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26) तक विस्तारित करने एवं विस्तारित अवधि में राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के संचालन हेतु संभावित व्यय विवरणी। | | | |
|---|---|---|---|
| क्र0सं0 | मद का नाम | प्रतिवर्ष संभावित व्यय (करोड़ रूपये में) | पाँच वर्षों का संभावित व्यय (करोड़ रूपये में) |
| 1 | स्वयं सहायता भत्ता | 150.00 | 750.00 |
| 2 | 38 जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एवं विशेष निर्माण कार्य | 10.00 | 50.00 |
| 3 | सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का संचालन एवं रख–रखाव | 3.00 | 15.00 |
| 4 | नेटवर्क कनेक्टिविटी का द्वितीयक लिंक | 0.60 | 3.00 |
| 5 | 38 जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों पर अधिष्ठापित आई0टी0 हार्डवेयर एवं अन्य उपकरणों का रख–रखाव तथा आवश्यकतानुसा प्रतिस्थापन | 8.00 | 40.00 |
| 6 | परामर्शी की सेवाएँ | 2.00 | 10.00 |
| 7 | राज्य स्तर पर कॉल सेंटर का संचालन | 1.00 | 5.00 |
| 8 | दूरभाष (टॉल फ्री नम्बर, पी0आर0आई0 लाईन, लीज्ड लाईन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर अधिष्ठापित दूरभाष) | 2.00 | 10.00 |
| 9 | संविदा सेवाएँ (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त गृह रक्षा वाहिणी का मानदेय तथा साफ–सफाई) | 7.00 | 35.00 |
| 10 | प्रशिक्षण | 0.10 | 0.50 |
| 11 | विद्युत प्रभार | 5.00 | 25.00 |
| 12 | कार्यालय व्यय | 11.30 | 56.50 |
| | कुल | 200.00 | 1000.00 |

# बिहार सरकार
# योजना एवं विकास विभाग

## संकल्प

विषय :– सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार की खोज हेतु आर्थिक मदद पहुँचाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना" के कार्यान्वयन एवं इसके तहत आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक जिला निबंधन–सह–परामर्श केन्द्र हेतु भवन निर्माण के संबंध में।

1. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की संकल्प संख्या–673 दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में **"आर्थिक हल, युवाओं को बल"** के निश्चय को सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धहरण निम्नवत् है:–

   "20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000.00 रूपये प्रतिमाह की दर से स्वंय सहायता भत्ता दो वर्षो के लिए दी जाएगी"

   इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना" प्रारंभ करने एवं कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया है।

2. नाम – यह योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना–2016 के नाम से जाना जाएगा।
3. विस्तार – यह योजना सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।
4. प्रारंभ होने की तिथि – यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारंभ होगी।
5. पृष्ठभूमि :–

I. 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आर्थिक कठिनाई के फलस्वरूप बहुत से युवक एवं युवती उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है एवं अपनी पढ़ाई को छोड़कर रोजगार की खोज में लग जाते है।

II. आर्थिक तंगी के कारण ऐसे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार तलाशने में भी आर्थिक कठिनाई होती है एवं आर्थिक तंगी के कारण वे रोजगार की खोज भी नही कर पाते है और निराशा भरी जिंदगी व्यतीत करने को वाध्य हो जाते है।

III. 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 20 से 25 वर्ष के आयुवर्ग के ऐसे युवक/युवतियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1781123, 2017–18 में 1958533, 2018–19 में 906490 2019–20 में 1076028 एवं 2020–21 में 1150000 होने का अनुमान है। यह गणना वर्ष 2008 से 2017 तक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की अनुमानित संख्या का 50 प्रतिशत के आधार पर आधारित है। इसी पृष्टभूमि में **"मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना"** लागू किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

है ताकि 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवती आसानी से अपने लिए रोजगार की खोज कर सके एवं एक आशाभरी जिंदगी व्यतीत कर सके।

6. **योजना के उद्देश्य :–**

इस योजना के उ़द्देश्य निम्नवत् है

I. 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार तलाश के दौरान स्वंय सहायता भत्ता की राशि प्रदान करना है।

II. स्वंय सहायता भत्ता की राशि एक व्यक्ति को प्रतिमाह 1000 रूपये की दर से अधिकतम दो वर्षो तक भुगतान किये जाने की योजना है।

III. इस भत्ता से बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार की खोज हेतु आर्थिक मदद मिल पायेगा।

7. **इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्तायें एवं शर्तें निम्नवत् होगी :–**

I. 20–25 वर्ष के आयुवर्ग में आनेवाले वैसे युवक/युवतियों जो अध्ययनरत नही हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड/परीक्षा परिषदों से न्यूनतम इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।

II. आवेदक बिहार राज्य के संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये।

III. आवेदक को किसी श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नही हो।

IV. आवेदक को किसी प्रकार का नियोजन, (अनुबंध/स्थाई/अस्थाई रूप से) प्राप्त नही हो।

V. आवेदक के पास स्वरोजगार नही हो।

VI. आवेदक को जिस दिन से स्थायी/अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन से इस योजना के तहत दी जानेवाली भत्ता हेतु पात्रता नही रखेंगे एवं तद्नुसार भत्ता बंद कर दी जायेगी।

8. इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी के नियत्रंण में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र होगा जहाँ पर स्वयं सहायता भत्ता के अतिरिक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। वैसे छात्र जो 10वीं कक्षा उत्तीण है तथा आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे है एवं 15–20 वर्ष आयु वर्ग के है और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है उनका भी आवेदन कौशल विकास इकाई में प्राप्त किया जायेगा। इस तरह से इस केन्द्र पर निम्नलिखित तीन इकाई कार्य करेगी :–

**(क) स्वंय सहायता भत्ता इकाई**

**(ख) स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इकाई**

**(ग) कौशल विकास इकाई–** प्रभाग–1(12वीं उत्तीण छात्र/छात्राओं के लिए)
प्रभाग–2(10वीं उत्तीण किंतु 12वीं अनुत्तीण छात्र/छात्राओं के लिए)

9. बिहार विकास मिशन के निर्णय/परामर्श/सहयोग के आलोक में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक MIS Software विकसित किया जा सकेगा। इस कार्य में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेभलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Beltron Bhawan) से भी अपेक्षित सहयोग एवं परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही राज्य स्तर पर इस योजना के तहत एक Call Centre भी स्थापित किया जा सकेगा।

10. जिला रजिस्ट्रेशन एवं परामर्श केन्द्र पर जिले में अवस्थित प्रखंडों/आवेदकों की संख्या के अनुरूप काउंटर की व्यवस्था की जाएगी जहाँ आवेदक अपना आवेदन प्राप्त करायेंगे एवं पावती रशीद प्राप्त करेंगे। आवेदक online आवेदन भी जमा कर सकते हैं। आवेदक को पावती की सूचना web portal/SMS or e-mail से भी दी जा सकती है।

11. आवेदन के समय राष्ट्रीय बैंक में आवेदक के नाम से संधारित खाता संख्या दिया जाना आवश्यक होगा।

12. आवेदन की स्वीकृति सूचना आवेदक को web portal/SMS or e-mail के माध्यम से दी जा सकेगी। स्वयं सहायता की राशि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाता में RTGS/NEFT अथवा अन्य Online Services द्वारा हस्तान्तरित किया जाएगा।

13. इस महत्वकांक्षी योजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु मानवबलों की संख्या एवं उनके वेतन इत्यादि का निर्धारण तथा आधारभूत संरचना की व्यवस्था बिहार विकास मिशन द्वारा लिए गए निर्णय/परामर्श के आलोक में किया जा सकेगा।

14. **आधार पंजीयन की व्यवस्था :–**

वैसे आवेदक जिनके पास आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नही है उनके लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के निकट आधार पंजीयन हेतु एक काउंटर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

15. **योजना का सम्भावित व्यय**

आगामी पाँच वित्तीय वर्षो में यथा 2016–17 से 2020–21 तक निम्नानुसार व्यय होने की संभावना है:–

**(क) स्वयं सहायता भत्ता की अनुमानित राशि**

| वर्ष | +2/इंटरमिडिएट उतीर्ण छात्र/छात्राओं की अनुमानित संख्या | स्वंय सहायता प्राप्त करने हेतु अनुमानित संख्या (2 का 50%) | अनुमानित राशि (लाख रू0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016–17 | 3562246 | 1781123 | 213734.76 |
| 2017–18 | 3917066 | 1958533 | 235023.96 |
| 2018–19 | 1812980 | 906490 | 108778.80 |
| 2019–20 | 2152056 | 1076028 | 129123.36 |
| 2020–21 | 2300000 | 1150000 | 138000.00 |
| कुल | | | 824660.88 |

(ख) मुख्यालय तथा जिला स्तर पर मानव बल, उपस्कर एवं आकस्मिकता पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में मो0 6156.55 लाख रूपये व्यय सम्भावित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक इन मदों पर संभावित व्यय निम्नवत् है :–

| वर्ष | अनुमानित राशि (लाख रू0 में) |
|---|---|
| 2016–17 | 6156.55 |
| 2017–18 | 4857.00 |
| 2018–19 | 4857.00 |
| 2019–20 | 4857.00 |
| 2020–21 | 4857.00 |
| कुल | 25584.55 |

**(ग) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन का निर्माण**

एक भवन के निर्माण की अनुमानित लागत उपस्कर सहित (लगभग) 400.00 लाख रूपये है। प्रत्येक जिला में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा जिस पर 15500.00 लाख रूपये व्यय सम्भावित है।

16. वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक स्वयं सहायता भत्ता के रूप में 824660.88 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त इन पॉच वित्तीय वर्षो में मुख्यालय तथा जिला स्तर पर मानव बल उपस्कर एवं आकस्मिकता मद में 25584.55 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वयं सहायता भत्ता, मानव बल, उपस्कर, आकस्मिकता मद में 219891.31 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है, जिसके तहत प्रथम चरण में इन मदों पर 121614.61 लाख रूपये की व्यय संभावित है जिसे बजट की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जा सकेगी।

17. इस योजना के तहत प्रत्येक जिला में अवश्यकतानुसार एक एवं एक से अधिक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु भवन के निर्माण पर बजट की उपलब्धता के आधार पर 15500.00 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की जा सकेगी।

18. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्तर पर योजना विकास विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला योजना पदाधिकारी होंगे तथा इस योजना अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला मुख्यालय के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल होंगे।

19. **बजट प्रावधान एवं निधि की उपलब्धता :–**

I. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप सुसंगत शीर्ष/उपशीर्ष एवं बिषय शीर्ष में बजट प्रावधान कराया जाएगा। निम्नलिखित शीर्षो के

अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध करायी जाएगी:–

(क) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–200 –अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–P–2235602000117

(ख) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0106– मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–P–2235607890106

(ग) मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–796 – जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–0102–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, मांग संख्या –35, विपत्र कोड–P–2235607960102

(घ) मुख्यशीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–00–लधुशीर्ष–051 –निर्माण, उपशीर्ष–0116– मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन, मांग संख्या–03, विपत्र कोड–P–2235602000116

20. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना वितीय वर्ष 2016–17 से लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद एवं राज्य प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/जिला योजना पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०)

(डा0 दीपक प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो04/S.H.A-2/2016- 1350 /यो0वि0,पटना, दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपिः (अनुलग्नक सी0डी0 सहित) उप सचिव, बिहार गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(ह०)

सरकार के प्रधान सचिव

9.3.16

ज्ञापांकः यो04/S.H.A-2/2016- 1350 /यो0वि0,पटना, दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, Bihar State Electronics Development Carporation Limited/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव